

वदिश में जेल में बंद भारतीयों का मुद्दा

प्रलमिस के लयि:

वदिश में जेल में बंद भारतीयों का मुद्दा, [अनवासी भारतीय](#), स्थानीय वदिश कार्यालय, कल्याण और कांसुलर सहायता

मेन्स के लयि:

वदिश में जेल में बंद भारतीयों का मुद्दा, द्वपिकषीय, कषेत्रीय और वैश्वकि समूह, भारत और इसके हतिों को प्रभावति करने वाले समूह और समझौते

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

वशि्व भर में सबसे अधिक भारतीय प्रवासी नागरकि होने के कारण, **9,500 से अधिक भारतीय वर्तमान में वदिशों की जेलों में हैं।**

- मध्य पूरव की जेलों में प्रत्येक पाँच में से तीन भारतीय जेल में हैं तथा इस कषेत्र की जेलों में भारतीय कैदियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी कतर में है।

नोट: वदिश मंत्रालय (Ministry of External Affairs- MEA) के अनुसार, 1.3 करोड़ से अधिक [अनवासी भारतीय \(Non-Resident Indians-NRI\)](#), 1.8 करोड़ से अधिक [भारतीय मूल के वयकत्ता \(PIO\)](#) तथा 3.2 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय 210 देशों में रहते हैं।

वशि्व के वभिन्न कषेत्रों में कैद भारतीय:

- वदिश में जेल में बंद कुल भारतीय:
 - जनि 210 देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय रहते हैं उनमें से 89 देशों की जेलों में 9,521 भारतीय बंद हैं।
- मध्य पूरव:
 - 62% से अधिक लोग मध्य पूरव की जेलों में हैं एवं उसके बाद एशया का स्थान आता है।
 - सबसे अधिक संख्या में भारतीय कैदी- 2,200, **सऊदी अरब** में बंद हैं **जसिके बाद संयुक्त अरब अमीरात** का स्थान है।
 - कतर में **752 भारतीय कैदी** हैं तथा इसके बाद कुवैत, बहरीन और ओमान का स्थान है।
- एशया:
 - एशया में कुल **1,227 कैदियों** में से 23% से अधिक कैदी नेपाल में हैं, इसके बाद मलेशया, पाकसितान, चीन, सगिापुर, भूटान एवं बांग्लादेश हैं।
- यूरोप:
 - यूरोप में **अधिकांश भारतीय कैदी (278) यूनाइटेड किंगडम की जेलों में हैं**, इसके बाद इटली, जर्मनी, फ्राँस एवं स्पेन का स्थान है।

क्या होता है जब कसिी भारतीय को वदिश में कैद कर लया जाता है?

- नगिरानी करना:
 - वदिश मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रया के अनुसार, वदिशों में **भारतीय मशिण और केंद्र** स्थानीय कानूनों के कथति उल्लंघन के लयि भारतीय नागरकिों को जेल भेजे जाने की घटनाओं पर बारीकी से नज़र रखते हैं।
 - जैसे ही मशिण या पोस्ट को कसिी भारतीय नागरकि की हरिसत या गरिफ्तारी के बारे में जानकारी मिलती है, वह ऐसे वयकत्तियों तक कांसुलर पहुँच प्राप्त करने के लयि स्थानीय वदिश कार्यालय और अन्य स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करता है।
- कल्याण और कांसुलर सहायता सुनिश्चति करना:
 - वदिश मंत्रालय के अधिकारी मामले के तथ्यों का पता लगाते हैं, भारतीय राष्ट्रियता की पुष्टिकरते हैं और वभिन्न तरीकों से ऐसे

व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करना, जैसे कठिन संभव कांसुलर सहायता प्रदान करना, जहाँ भी आवश्यक हो, कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद करना तथा न्यायिक कार्यवाही को जल्द-से-जल्द पूरा करने के लिये स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करना।

वदिश में कैदियों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकारी कदम क्या हैं?

■ कानूनी सहयोग:

- भारतीय मशिन और पोस्ट उन देशों में वकीलों का एक **स्थानीय पैनल बनाए रखते हैं जहाँ भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं।**
- दूतावास द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
- भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF) की स्थापना वदिशों में मशिनों और केंद्रों पर संकट की स्थिति में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिये की गई है।
- ICWF के तहत दिये जाने वाले समर्थन में कानूनी सहायता के लिये वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्वदेश वापसी के दौरान यात्रा दस्तावेज़ और हवाई टिकट भी शामिल हैं।

■ भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी:

- सरकार विभिन्न देशों के साथ कांसुलर और अन्य परामर्शों के दौरान वदिशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रहाई तथा स्वदेश वापसी के मुद्दे पर कार्रवाई करती है।

■ क्षमा और जेल की सज़ा में कमी:

- कुछ देश समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के कैदियों को माफी देते हैं या उनकी सज़ा कम करते हैं, लेकिन संबंधित देशों के साथ डेटा साझा नहीं करते हैं।
 - वर्ष 2014 के बाद से विभिन्न चैनलों के माध्यम से भारत सरकार के पर्याप्तों के कारण **4,597 भारतीय नागरिकों को वदिशी सरकारों** द्वारा माफी या उनकी सज़ा में कमी मिली है।

■ सज़ायाफ़्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण (TSP) पर समझौते:

- भारत ने **31 देशों** के साथ TSP पर समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत वदिशों में बंद भारतीय कैदियों को उनकी शेष सज़ा काटने के लिये भारत में स्थानांतरित किया जा सकता है और इसके विपरीत भी।
 - इनमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राज़ील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मसिर, एस्टोनिया, फ्रांस, हॉन्गकॉन्ग, ईरान, इज़रायल, इटली, कज़ाख़स्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम शामिल हैं।
- भारत ने **सज़ायाफ़्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर दो बहुपक्षीय सम्मेलनों पर भी हस्ताक्षर किये हैं**, वदिश में आपराधिक सज़ा काटने पर अंतर-अमेरिकी कन्वेंशन और सज़ा पाए व्यक्तियों के स्थानांतरण पर यूरोप काउंसिल कन्वेंशन, जिसके तहत सदस्य राज्यों तथा अन्य देशों के सज़ायाफ़्ता व्यक्ति, जो इनमें शामिल हो गए हैं, कैदियों के स्थानांतरण की मांग कर सकते हैं।
- वर्ष 2006 से जनवरी 2022 तक, 86 कैदियों को TSP के तहत स्थानांतरित किया गया, इनमें **75 कैद भारतीयों को भारत में स्थानांतरित किया गया और 11 वदिशी कैदियों को उनके संबंधित देशों में स्थानांतरित किया गया।**

आगे की राह

- जेल में बंद कैदियों को न्यायमति और व्यापक कौंसल-संबंधी सहायता प्रदान करने के लिये वदिशों में भारतीय मशिनों के संसाधनों तथा क्षमताओं को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- संभवतः आउटरीच कार्यक्रमों या सूचना अभियानों के माध्यम से, उन देशों में स्थानीय कानूनों और रीति-रिवाज़ों के बारे में भारतीय प्रवासियों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।
- कैदियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और वदिशी जेलों में भारतीय लोगों के लिये उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये अन्य देशों के साथ राजनीतिक पर्याप्तों तथा समझौतों को बढ़ाना आवश्यक है।
- वदिश में कैद भारतीय नागरिकों से संबंधित नीतियों की लगातार समीक्षा और अद्यतन करना, सहज प्रत्यावर्तन या सज़ा हस्तांतरण (smoother repatriation or sentence transfers) की सुविधा के लिये संभावित रूप से मौजूदा समझौतों में संशोधन करना।